# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

**पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)**

**राजस्व प्रकरण संख्या :– 02/2020** **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2020/00049**
**दायर दिनांक :– 03.01.2020** **निर्णय दिनांक :– 19.02.2025**

1. दुर्गसिंह पुत्र मलसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. मांगूसिंह पुत्र मलसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. लहर कंवर पत्नी मलसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी

**–प्रार्थी**

**बनाम**

1. अमानसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. सुमेरसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. सुखसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
4. भूरसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
5. मेहताबसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
6. सुगनसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
7. श्रवणसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
8. हुकमसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
9. अर्जुनसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
10. दौलसिंह पुत्र गायड़सिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
11. नखतसिंह पुत्र गायड़सिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
12. छतरसिंह पुत्र गायड़सिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
13. कमलकंवर पत्नी पूनमसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
14. राजकुमार पुत्र रामलाल जाति नागपाल नि. गुडगांव तह. गुडगांव जिला गुडगांव
15. शाखा प्रबन्धक इलाहाबाद बैंक शाखा सिहड़ा तहसील बाप जिला फलोदी

**–अप्रार्थी**

**राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

**उपस्थित :–1.** श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी

## –:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने एक नियमित राजस्व वाद घोषणा एवं जारी करवाने स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया है प्रार्थीगण का वाद अभिवचन एवं दस्तावेजात के अधार पर प्रथम दृष्टयां साबित है एवं प्रार्थीगण को वाद में सफलता मिलने की शत प्रतिशत उम्मीद है। खसरा नम्बर 633 रकबा 215–10 बीघा भूमि सरहद मौजा टेकरा पटवार मण्डल टेकरा तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में भंवरसिंह पुत्र मंगसिंह 1/3 हिस्सा, नाहरसिंह पुत्र मोतीसिंह 1/3 हिससा, मलसिंह पुत्र दलपतसिंह 1/3 हिस्सा अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त भूमि के पूर्व खातेदार भंवरसिंह, नाहरसिंह व मलसिंह फौत हो चुके है। नाहरसिंह पुत्र मोतीसिंह के लाऔलाद फौत होने से नाहरसिंह के अन्य दो भाई दलपसिंह के वारिसान प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा व अचलसिंह के वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 ता 12 का 1/2 हिस्सा की भूमि बंट में आती है और इसी अनुसार ही मौके पर काबिज है। जब नाहरसिंह वल्द मोतीसिंह फौत हुवे तो नाहरसिंह के संतान नहीं होने से फौतेदगी के

19/2/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

नामान्तरकरण संख्या 250 मौजा टेकरा नाहरसिंह की पत्नी बादलकंवर के नाम भरा जाकर स्वीकृत हुआ। नाहरसिंह व बालकंवर ने अपने जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति को विधि अनुसार गोद नहीं लिया। जब बालकंवर पत्नी नाहरसिंह फौत हुई तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के पिता गंगासिंह पुत्र अचलसिंह ने अपने अकेले के नाम से सगा भतीजा होने का इन्द्राज करवा कर नामान्तरकरण संख्या 566 मौजा टेकरा सरासर गलत तरीके से पटवारी हल्का से मिलावट कर स्वीकृत करवा लिया। जबकि बालकंवर पत्नी नाहरसिंह पुत्र मोतीसिंह के प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 सभी द्वितीय श्रेणी के वारिसान थे। उक्त नामान्तरकरण संख्या 566 मौजा टेकरा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के विपरित भरा जाकर स्वीकृत किया गया है जकि बालकंवर के हिस्से की भूमि नाहरसिंह पुत्र मोतीसिंह के दोनो भाईयों के वारिसान के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। इसलिये प्रार्थीगण नामान्तरकरण संख्या 566 मौजा टेकरा को निरस्त करवा कर ग्राम टेकरा के खसरा नम्बर 633 रकबा 215–10 बीघा भूमि में 1/2 हिस्सा की खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है। अस्थयी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष मे तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की जारी की जावे कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के 1/2 हिस्से की भूमि में चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किस प्रकार की दखल अंदजी न तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 ता 15 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नामान्तरकरण इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि विवादग्रस्त खसरान् की भूमि में प्रार्थीगण का हक हिस्सा बनता है या नहीं इसका निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही तय किया जा सकता है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

**–:आदेश:–**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

19/2/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर जिला फलोदी (राज.)